

**आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/ओरि./जयपुर/09/826

दिनांक: 15 फरवरी, 2019

निदेशक,  
यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र,  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय: दिनांक 18.02.2019 से 16.03.2019 तक 109th Orientation Programme बाबत।  
सन्दर्भ : आपका पत्रांक एफ. ( )एचआरडीसी/2018/1312 दिनांक 06.02.2019

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 18.02.2019 से 16.03.2019 तक 109<sup>th</sup> Orientation Programme सभी विषय पर आयोजित कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित 07 अतिरिक्त सहायक आचार्यों को मनोनीत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/डॉ.)	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	गणेश नारायण मूंधरा	एबीएसटी	बलदेव राम मिर्धा, राजकीय महाविद्यालय, नागौर
2	निर्मल कुमार रम्कावत	हिन्दी	राजकीय महाविद्यालय, पिंडवाडा
3	पवन कुमार भंवरिया	इतिहास	राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़, चुरू
4	मोहम्मद काशिफ रजा	फारसी	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
5	चेतना कुमावत	ईएफएम	राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा
6	विकास कुमार	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, खजूवाला, बीकानेर
7	अरूण गोयल	रसायन शास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़, अलवर

उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले सहायक आचार्यों की सूची आयुक्तालय को भिजवायें जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले सहायक आचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता आपके द्वारा देय होगा। शेष अन्य व्यय प्रतिभागियों को स्वयं के स्तर पर वहन करना होगा।

भवदीय

  
15/02/19

(डॉ. आरुणसिंह)


संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/ओरि./जयपुर/09/826

दिनांक: 15 फरवरी, 2019

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

- संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-  
(अ) दिनांक 31.12.2008 से कैरियर एडवॉन्समेंट स्कीम(सी.ए.एस.) के तहत सभी सह/सहायक आचार्यों को वरिष्ठ वेतनमान के लिए एक ओरियेंटेशन व एक रिफ्रेशर कोर्स, चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर कोर्स एवं पे-बैंड IV के लिये चयनित वेतनमान के पश्चात एक रिफ्रेशर/शार्ट टर्म कोर्स करना अनिवार्य है।  
(ब) महाविद्यालयों के जिन मनोनीत सह/सहायक आचार्यों को सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो केवल उन्हें ही कार्यमुक्त करें।  
(स) मनोनीत सह/सहायक आचार्यों (सी.ए.एस.के तहत पात्र)को उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 18.02.2019 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।  
(द) प्राचार्य मनोनीत सह/सहायक आचार्यों को समय सारिणी का समायोजन कर कार्य मुक्त करें।  
(य) दिनांक 01.01.2008 की गाइड लाइन की पालना करते हुये सर्विस बुक से परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे की नामांकित सह/सहायक आचार्यों को अगली पदोन्नती के लिए कोर्स की आवश्यकता है या नहीं, उपरोक्त शर्त की पालना की व्यक्तिगत जवाब देही स्वयं प्राचार्य की होगी।
- संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्यों तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्यों द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्यों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा उन्हें एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/ कोटा/ उदयपुर/ अजमेर/ जोधपुर/ बीकानेर।
- वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कृपया आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- रक्षित पत्रावली।

  
15/02/19

(डॉ. आरुणसिंह)

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)